:: प्रक्रिया ::

1. पुलिस कर्मचारियों/आश्रितों के लिये

1. (अ) अनुबंधित चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु

ऐसी किसी बीमारी जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जांच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नही है, से पीड़ित होने की स्थिति में योजना के साथ अनुबंधित निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार/सर्जरी की अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों सहित इकाई प्रमुख को प्रस्तुत करें । (परिपत्र 1705/13 दिनांक 01.11.2013 का बिन्दु कमांक–1)

1. (ब) गैर अनुबंधित चिकित्सालय जहॉ कैशलेस सुविधा उपलब्ध नही है में उपचार हेतु

ऐसी किसी बीमारी जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जांच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नही है, से पीड़ित होने की स्थिति में प्रदेश या प्रदेश बाहर स्थित मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबंधित बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त एवं योजना से गैर अनुबंधित निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिये अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र चिकित्सा अग्रिम की मॉग करते हुये पी.ए.आर.(प्रपत्र–5) आदि आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों एवं वसूली हेतु सहमति पत्र के इकाई प्रमुख को प्रस्तुत करें ।

1. (स) शासकीय चिकित्सालयों में बिना रैफरल के उपचार कराया जाना

राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एंव चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित किये जाने वाले चिकित्सालयों जैसे ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) भोपाल तथा भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एंव रिसर्च सेंटर में बिना किसी रैफरल के उपचार कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई है । इन चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध नही होने से सदस्य कर्मचारी आवेदन कर चिकित्सा अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं ।

1. (द) आकस्मिकता की स्थिति में जीवन रक्षा हेतु उपचार

आकस्मिक परिस्थितियों में जब जीवन रक्षा हेतु तत्काल उपचार प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, योजना का सदस्य या आश्रित न्यास से अनुबंधित चिकित्सालय में जाकर दाखिल हो सकेगा एवं चिकित्सालय में इमरजेन्सी ऐडमीशन सॅर्टीफिकेट एवं पीएआर के साथ इकाई प्रमुख को रेफरल पत्र भेजने हेत अनुरोध करेगा। 24 घंटे में इकाई प्रमुख द्वारा रेफरल पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार किया जावेगा। अनुबंधित चिकित्सालय द्वारा योजना के सदस्य/आश्रित से कोई धन राशि नहीं ली जावेगी।